(67)

राजस्थान सरकार

निदेशालय नागरिक सुरक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर

पत्रांक : प.7(13)निनासु/SOP/सामा./2021/491 दिनांक : 17.01.2022

नागरिक सुरक्षा विभाग में पुरस्कार/इनाम पाने के लिए स्थायी संचालन प्रकिया (Standing Operating Procedure)

1. **परिचय** :– नागरिक सुरक्षा विभाग के अधिकारियों/कार्मिकों/स्वयंसेवकों को उनकी विभागीय कार्यों के प्रति रुचि, ईमानदारी, कर्तव्यनिष्ठता एवं अनुशासन के फलस्वरुप उन्हें पुरस्कार या ईनाम दिये जाने से उनमें नये उत्साह/मनोबल का सृजन होता है तथा कार्य करने की क्षमता का विकास होता है।
2. **पदक/प्रशंषा पत्र/नगद पुरस्कार** :– नागरिक सुरक्षा विभाग में राष्ट्रीय/राज्य/विभागीय स्तर पर दिये जाने वाले पदक/प्रशंषा पत्र/नकद पुरस्कार इत्यादि के संबंध में निम्नानुसार दिशा निर्देश लागू होंगे :–

(अ) **वीरता (Gallantry) पदक** – गृह मंत्रालय भारत सरकार के आदेश कमांक VI-11021/Policy/93-DGCD(P&C) दिनांक 13.03.1995 की अनुपालना में महानिदेशालय अग्निशमन, नागरिक सुरक्षा व गृह रक्षा, गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रति वर्ष जारी होने वाले दिशा निर्देशों के तहत, निम्नानुसार वीरता पदक नागरिक सुरक्षा व नागरिक सुरक्षा अग्निशमन सेवा के अधिकारियों/कार्मिकों/स्वयंसेवकों को किसी विशेष घटना पर वीरता/शौर्य प्रदर्शनोंपरान्त भारत सरकार द्वारा प्रदान किये जाते हैं:–

(i) राष्ट्रपति का नागरिक सुरक्षा एवं गृह रक्षा/अग्निशमन सेवा वीरता (Gallantry) पदक–**(For highest order of Valour/Gallantry/ Bravery)**

(ii) नागरिक सुरक्षा एवं गृह रक्षा/अग्निशमन सेवा वीरता (Gallantry) पदक–**(For ordinary act of Gallantry)**

CamScanner

(क) **<u>योग्यता</u>** – नागरिक सुरक्षा एवं नागरिक सुरक्षा अग्निशमन सेवा के अधिकारियों/कार्मिकों/स्वयंसेवकों द्वारा आपदा/विपदा व घटना/दुर्घटना के दौरान किसी विशेष घटना पर किये जाने वाले वीरता/शौर्य/बहादुरी के कार्यों के उपरान्त संबंधित जिलों/नागरिक सुरक्षा कार्यालयों द्वारा वीरता पदकों हेतु प्रस्ताव तैयार कर निदेशालय नागरिक सुरक्षा विभाग को भिजवाया जा सकता है। **उक्त पदकों के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है व वर्ष में कभी भी वीरता/बहादुरी/शौर्य के कार्य के लिए वीरता पदक हेतु प्रस्ताव भिजवाये जा सकते हैं।** उक्त प्रस्ताव घटना के एक वर्ष की अवधि में ही तैयार कर भिजवाये जाने हैं। वीरता पदक एक बार दिये जानें के उपरान्त, उक्त पदक पूर्व में पदक प्राप्त पदकधारी को किसी अन्य घटना विशेष पर पुनः (दुबारा) प्रदान किया जा सकता है।

(ख) **<u>उक्त वीरता पदकों के लिए अपनायी जाने वाली प्रकिया</u>** :–

- जिला/नागरिक सुरक्षा इकाई स्तर पर नागरिक सुरक्षा एवं नागरिक सुरक्षा अग्निशमन सेवा के अधिकारियों/कार्मिकों/स्वयंसेवकों द्वारा किसी विशेष घटना पर किये जाने वाले वीरता/शौर्य/बहादुरी के कार्यों उपरान्त संबंधित कार्यालय नियंत्रक (जिला कलक्टर) नागरिक सुरक्षा/कार्यालयाध्यक्ष (HOO) के स्तर पर एक वर्ष के भीतर कभी भी, सलंग्न Appendix 'A' पर प्रस्ताव तैयार कर Appendix 'D' के साथ 09 प्रतियों (02 Ink sign) में निदेशालय नागरिक सुरक्षा विभाग को ऑफ लाईन भिजवाया जाना है। प्रस्ताव के Appendix 'D' पर संबंधित नागरिक सुरक्षा इकाई कार्यालयाध्यक्ष के हस्ताक्षर होने हैं। साथ ही कार्यालयाध्यक्ष (HOO) द्वारा ऑन लाईन भारत सरकार की वेब साईट **www.dgfscdhg.gov.in** पर अपलॉड किया जाकर विभागाध्यक्ष को अग्रेसित किया जाना है।
- नागरिक सुरक्षा इकाईयों से प्राप्त प्रस्तावों (भारत सरकार की वेब साईट **www.dgfscdhg.gov.in** एवं प्राप्त प्रस्ताव की प्रतियां) पर निदेशालय स्तर पर गठित विभागीय कमेठी (Appendix 'F') के द्वारा

परीक्षण किया जाकर, उनकी अनुशंषा के आधार पर आयुक्त/निदेशक महोदय से अनुमोदन लिया जावेगा। आयुक्त/निदेशक महोदय के अनुमोदन पश्चात, प्राप्त प्रस्ताव के Appendix 'E' पर उप निदेशक नागरिक सुरक्षा विभाग से हस्ताक्षर करवाये जाकर 08 प्रतियों (02 Ink sign) में ऑफ लाईन प्रशासनिक विभाग को भिजवाते हुए, भारत सरकार की वेब साईट **www.dgfscdhg.gov.in** पर ऑन लाईन अपलॉड किया जाकर राज्य सरकार को अग्रेसित किया जाना है।

- प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव आपदा प्रबन्धन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग के प्रशासनिक स्तर पर परीक्षण कर विभागीय मंत्री के अनुमोदन पश्चात, प्रस्ताव मय Appendix 'D' & 'E' के साथ 07 प्रतियों (02 Ink sign) में ऑफ लाईन तथा साथ ही भारत सरकार की वेब साईट **www.dgfscdhg.gov.in** पर ऑन लाईन महानिदेशालय अग्निशमन सेवा, नागरिक सुरक्षा एवं गृह रक्षा, गृह मंत्रालय भारत सरकार को भिजवाया जाना है।

(ब) **सेवा पदक (Service Medal)** – गृह मंत्रालय भारत सरकार के आदेश क्रमांक VI-11021/Policy/93-DGCD(P&C) दिनांक 13.03.1995 की अनुपालना में एवं महानिदेशालय अग्निशमन, नागरिक सुरक्षा व गृह रक्षा, गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा इस संबंध में प्रति वर्ष जारी किये जाने वाले दिशा निर्देशों के तहत, नागरिक सुरक्षा व नागरिक सुरक्षा अग्निशमन सेवा के अधिकारियों/कार्मिकों/स्वयंसेवकों को उनकी विभागीय सराहनीय/विशिष्ठ सेवा के उपरान्त भारत सरकार द्वारा निम्नानुसार सेवा पदक प्रदान किये जाते हैं :–

(i) राष्ट्रपति का नागरिक सुरक्षा एवं अग्निशमन सेवा विशिष्ठ सेवा पदक (Distinguished Service Medal)

(ii) नागरिक सुरक्षा एवं अग्निशमन सेवा सराहनीय सेवा पदक (Meritorious Service Medal)

CamScanner

(क) **योग्यता** – नागरिक सुरक्षा अधिकारियों/कार्मिकों/स्वयंसेवकों को उनके द्वारा की गयी सराहनीय/विशिष्ठ सेवा के उपरान्त, उक्त दोनों सेवा पदक उनकी सेवा काल के दौरान एक बार ही देय होंगे। इसके साथ ही उक्त सेवा पदकों के लिए प्रस्ताव तैयार करते समय निम्नानुसार बिन्दूओं को ध्यान में रखते हुए, प्रस्ताव तैयार कर निदेशालय को भिजवाया जाना है :–

- नागरिक सुरक्षा एवं गृह रक्षा/अग्निशमन सेवा "**विशिष्ठ सेवा पदक**" के लिए **स्थाई विभागीय कार्मिकों के लिए कम से कम 20 वर्ष** की सराहनीय सेवा पूर्ण होना तथा **नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवकों के लिए कम से कम 13 वर्ष** की सराहनीय सेवा पूर्ण होना आवश्यक है।
- विशिष्ट सेवा पदक, नागरिक सुरक्षा एवं गृह रक्षा/अग्निशमन सेवा "सराहनीय सेवा पदक" प्राप्त हो जाने के 05 वर्ष बाद ही देय है।
- उक्त दोनों सेवा पदक नागरिक सुरक्षा/नागरिक सुरक्षा अग्निशमन सेवा के अधिकारियों/कार्मिकों/स्वयंसेवकों को उनकी विभागीय सेवा काल में एक बार ही देय हैं।
- उक्त पदकों के लिए विभागीय अधिकारियों/कार्मिकों की पिछले 10 वर्षों की कार्य मूल्यांकन रिपोर्ट के आधार पर देय होगा, जिसमें "**विशिष्ठ सेवा पदक**" के लिए बहुत अच्छा (Very Good) से कम नही हो व "**सराहनीय सेवा पदक**" के लिए अच्छा (Good) से कम नहीं हो।
- नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवकों के लिए पिछले 08 वर्षों के कार्य मूल्यांकन हेतु नियंत्रक/अन्य समकक्ष अधिकारी/नियंत्रक द्वारा नामित अधिकारी के हस्ताक्षर से जारी कार्य मूल्यांकन प्रमाण पत्र (कार्य मूल्यांकन प्रमाण पत्र का प्रारुप Appendix 'I' पर सलंग्न) प्रस्ताव के साथ सलंग्न करना होगा। इसके साथ ही उक्त स्वयंसेवक की संबंधित पुलिस थाने से जारी "पुलिस सत्यापन रिपोर्ट" भी सलंग्न करना होगा।

CamScanner

➢ उक्त दोनों सेवा पदक हेतु प्रति वर्ष आयोजित होने वाले राष्ट्रीय समारोहों "26 जनवरी (गणतंत्र दिवस) एवं 15 अगस्त (स्वतंत्रता दिवस)" के अवसर पर भारत सरकार द्वारा पदक दिये जाने की घोषणा की जाती है।

(ख) उक्त सेवा पदकों के लिए अपनायी जाने वाली प्रकिया –

➢ जिला/नागरिक सुरक्षा इकाई स्तर पर नागरिक सुरक्षा एवं नागरिक सुरक्षा अग्निशमन सेवा के अधिकारियों/कार्मिकों/स्वयंसेवकों द्वारा उत्कृष्ट एवं सराहनीय कार्योपरान्त संबंधित कार्यालय नियंत्रक (जिला कलक्टर) नागरिक सुरक्षा/कार्यालयाध्यक्ष (HOO) के स्तर पर प्रति वर्ष 15 अगस्त व 26 जनवरी के अवसर पर, सलंग्न Appendix 'B' पर प्रस्ताव तैयार कर Appendix 'D' के साथ 09 प्रतियों (02 Ink sign) में निदेशालय नागरिक सुरक्षा विभाग को ऑफ लाईन भिजवाया जाना है। प्रस्ताव के Appendix 'D' पर संबंधित नागरिक सुरक्षा इकाई कार्यालयाध्यक्ष के हस्ताक्षर होने हैं। साथ ही कार्यालयाध्यक्ष (HOO) द्वारा ऑन लाईन भारत सरकार की वेब साईट **www.dgfscdhg.gov.in** पर अपलॉड किया जाकर विभागाध्यक्ष को अग्रेसित किया जाना है।

➢ नागरिक सुरक्षा इकाईयों से प्राप्त प्रस्तावों (भारत सरकार की वेब साईट **www.dgfscdhg.gov.in** एवं प्राप्त प्रस्ताव की प्रतियां) पर निदेशालय स्तर पर गठित विभागीय कमेठी (Appendix 'H') के द्वारा परीक्षण किया जाकर, उनकी अनुशंषा के आधार पर आयुक्त/निदेशक महोदय से अनुमोदन लिया जावेगा। आयुक्त/निदेशक महोदय के अनुमोदन पश्चात, प्राप्त प्रस्ताव के Appendix 'E' पर उप निदेशक नागरिक सुरक्षा विभाग से हस्ताक्षर करवाये जाकर 08 प्रतियों (02 Ink sign) में ऑफ लाईन प्रशासनिक विभाग को भिजवाते हुए, भारत सरकार की वेब साईट **www.dgfscdhg.gov.in** पर ऑन लाईन अपलॉड किया जाकर राज्य सरकार को अग्रेसित किया जाना है।

➢ आपदा प्रबन्धन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग के प्रशासनिक स्तर पर परीक्षण कर विभागीय मंत्री के अनुमोदन पश्चात, प्रस्ताव मय

Appendix 'D' & 'E' के साथ 07 प्रतियों (02 Ink sign) में ऑफ लाईन तथा साथ ही भारत सरकार की वेब साईट **www.dgfscdhg.gov.in** पर ऑन लाईन महानिदेशालय अग्निशमन सेवा, नागरिक सुरक्षा एवं गृह रक्षा, गृह मंत्रालय भारत सरकार को भिजवाया जाना

(ग) **सेवा पदक (Service Medal) के प्रस्ताव तैयार किये जाने संबंधी समय सारणी** :– प्रति वर्ष गणतंत्र दिवस (26 जनवरी) एवं स्वतंत्रता दिवस (15 अगस्त) को भारत सरकार द्वारा पदक दिये जाने की घोषणा की जाती है। इसके लिए प्रस्ताव तैयार कर भिजवाये जाने की समय सारणी निम्नानुसार होगी :–

(i) **गणतंत्र दिवस (26 जनवरी)** :–

- ❖ जिला/नागरिक सुरक्षा इकाई स्तर द्वारा प्रस्ताव तैयार कर निदेशालय को भिजवाया जाना – 15 सितंबर
- ❖ निदेशालय स्तर पर प्राप्त प्रस्तावों को राज्य सरकार (प्रशासनिक विभाग) को भिजवाया जाना – 30 सितंबर
- ❖ राज्य सरकार (प्रशासनिक विभाग) के स्तर पर प्राप्त प्रस्तावों को महानिदेशालय ना.सु., भारत सरकार को भिजवाया जाना – 15 अक्टूबर

(ii) **स्वतंत्रता दिवस (15 अगस्त)** :–

- ❖ जिला/नागरिक सुरक्षा इकाई स्तर द्वारा प्रस्ताव तैयार कर निदेशालय को भिजवाया जाना – 25 अप्रेल
- ❖ निदेशालय स्तर पर प्राप्त प्रस्तावों को राज्य सरकार (प्रशासनिक विभाग) को भिजवाया जाना – 05 मई
- ❖ राज्य सरकार (प्रशासनिक विभाग) के स्तर पर प्राप्त प्रस्तावों को महानिदेशालय ना.सु., भारत सरकार को भिजवाया जाना – 15 मई

CamScanner

(स) महानिदेशक अग्निशमन, नागरिक सुरक्षा एवं गृह रक्षा का डिस्क व प्रशंसा पत्र (DG FS, CD & HG's Disc and Commendation Certificate) – महानिदेशालय अग्निशमन, नागरिक सुरक्षा व गृह रक्षा, गृह मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक VI-11023/01/2010-DGCD(CD) दिनांक 21.09.2010 एवं पत्रांक VI-11023/01/2014-DGCD(CD) दिनांक 05.12.2014 द्वारा जारी दिशा निर्देशों के तहत उपलब्ध प्रारुप (Appendic 'C') में वर्ष में एक बार "नागरिक सुरक्षा स्थापना दिवस (06 दिसम्बर)" के अवसर पर भारत सरकार को भिजवाया जाना है। उक्त डिस्क हेतु प्रस्ताव तैयार करते समय निम्नांकित बिन्दूओं को ध्यान में रखा जावे :–

- आपदा प्रबन्धन/नागरिक सुरक्षा कार्यों के लिए विशिष्ट उपलब्धि
- विभाग/संगठन के लिए समर्पण एवं निष्ठा से किये जाने वाले कार्योंपरांत
- योग्यता एवं बेदाग सेवा रिकॉर्ड
- राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलों में महत्वपूर्ण उपलब्धि
- राज्य/राष्ट्रीय जनोपयोगी योजनाओं के कियान्वयन में जिला प्रशासन का महत्वपूर्ण सहयोग

(क) <u>योग्यता</u> – उपरोक्त बिन्दूओं की पूर्ति करते हुए, विशिष्ट व बेदाग सेवा रिकॉर्ड के आधार पर निम्नानुसार 03 श्रेणियों में महानिदेशक अग्निशमन, नागरिक सुरक्षा एवं गृह रक्षा डिस्क प्रदान की जावेगी:–

(a) **Bronze Disc** – The initial level Disc awarded after one year of service.

(b) **Silver Disc** – Considered after two years from the date of receipt of Bronze Disc.

(c) **Golden Disc** – Considered after three years from the date of receipt of Silver Disc.

(ख) <u>उक्त डिस्क के लिए अपनायी जाने वाली प्रकिया</u> –

- जिला/नागरिक सुरक्षा इकाई स्तर पर नागरिक सुरक्षा एवं नागरिक सुरक्षा अग्निशमन सेवा के अधिकारियों/कार्मिकों/स्वयंसेवकों द्वारा किये जाने वाले विशिष्ट कार्योपरान्त, संबंधित कार्यालय नियंत्रक (जिला कलक्टर) नागरिक सुरक्षा/कार्यालयाध्यक्ष (HOO) के स्तर पर प्रति वर्ष 6 दिसंबर (नागरिक सुरक्षा स्थापना दिवस) के अवसर पर, सलंग्न Appendix 'C' पर प्रस्ताव तैयार कर Appendix 'C(i)' के साथ 04 प्रतियों में निदेशालय नागरिक सुरक्षा विभाग को ऑफ लाईन भिजवाया जाना है।
- नागरिक सुरक्षा इकाईयों से प्राप्त प्रस्तावों पर निदेशालय स्तर पर गठित विभागीय कमेटी के द्वारा परीक्षण किया जाकर, उनकी अनुशंषा के आधार पर आयुक्त/निदेशक महोदय से अनुमोदन लिया जावेगा। आयुक्त/निदेशक महोदय के अनुमोदन पश्चात, प्राप्त प्रस्ताव 03 प्रतियों में ऑफ लाईन महानिदेशालय नागरिक सुरक्षा, गृह मंत्रालय भारत सरकार को भिजवाया जाना है।

(द) **नगद ईनाम (Cash Reward)** – महानिदेशालय अग्निशमन, नागरिक सुरक्षा व गृह रक्षा, गृह मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक 1/14/74-DGCD(HG) दिनांक 19.05.1975, पत्रांक VI-11024/01/2003-DGCD(HG) दिनांक 08.04.2003 एवं नागरिक सुरक्षा कम्पेडियम 2011 (भाग–III के बिन्दू 7.6) के तहत जारी दिशा निर्देशों के तहत नागरिक सुरक्षा अधिकारियों/कार्मिकों/स्वयंसेवकों को उनके द्वारा विशिष्ट घटना/दुर्घटना/आपदा/विपदा के दौरान कर्तव्य निष्ठा एवं सराहनीय कार्योपरांत प्राप्त प्रस्तावों पर राष्ट्रीय/राज्य स्तर पर निम्नानुसार नगद राशि पुरस्कार दिये जाने का प्रावधान है :–

राष्ट्रीय स्तर पर – महानिदेशक अग्निशमन, नागरिक सुरक्षा एवं गृह रक्षा, गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा उक्त प्रावधानों के तहत स्थाई स्टाफ/स्वयंसेवकों को नगद राशि रुपये 3000/–, महानिरीक्षक/संयुक्त महानिदेशक द्वारा राशि रुपये 2000/–, उप महानिदेशक/वित्तीय सलाहकार द्वारा राशि रुपये 500/– एवं सहा. महानिदेशक द्वारा राशि रुपये 300/– प्रति स्टाफ/स्वयंसेवक नगद पुरस्कार

दिये जाने का प्रावधान है। वित्तीय वर्ष के दौरान इस तरह के नगद पुरस्कार हेतु दी गयी राशि कुल 2.50 लाख से अधिक नहीं होगी।

राज्य स्तर पर – निदेशक/आयुक्त नागरिक सुरक्षा विभाग द्वारा उक्त प्रावधानों के तहत स्थाई स्टाफ/स्वयंसेवकों को नगद राशि रुपये 1500/– एवं संयुक्त/उप निदेशक द्वारा राशि रुपये 1000/– प्रति स्टाफ/स्वयंसेवक नगद पुरस्कार दिये जाने का प्रावधान है। वित्तीय वर्ष के दौरान इस तरह के नगद पुरस्कार हेतु दी गयी कुल राशि 1.25 लाख से अधिक नहीं होगी।

(य) **राज्यस्तर पर विभागीय प्रशंसा पत्र** – राज्य स्तर पर नागरिक सुरक्षा विभाग के अधिकारियों/कार्मिकों/स्वयंसेवकों को उनकी विशिष्ठ सेवा एवं कर्तव्यनिष्ठता के आधार पर निर्धारित प्रपत्र (प्रोफार्मा Appendix 'G' पर सलंग्न) में प्राप्त प्रस्ताव पर, प्रति वर्ष राष्ट्रीय पर्व (गणतंत्र दिवस/स्वाधीनता दिवस) एवं नागरिक सुरक्षा स्थापना दिवस (06 दिसम्बर) के अवसर पर निदेशक/आयुक्त नागरिक सुरक्षा विभाग द्वारा प्रदान किया जाता है।

(र) **राज्य स्तर पर योग्यता प्रमाण पत्र** – राज्य स्तर पर राजस्थान सिविल सेवा (प्रशंसा पत्र/योग्यता प्रमाण पत्र) नियम 1973 के नियम 07 के तहत राज्य सरकार एवं सहकारी संस्थाओं/ नगर पालिकाओं/परिषदों/निगमों/मण्डलों/बोर्ड/जिला परिषद इत्यादि के अधिकारियों एवं कार्मिकों को उनकी विशिष्ठ सेवाओं एवं पिछले 09 वर्षों के गोपनीय प्रतिवेदन (जिसमें 02 वर्ष 'उत्कृष्ट' एवं शेष 07 वर्षों का 'बहुत अच्छा' श्रेणी) के आधार पर सामान्य प्रशासनिक विभाग द्वारा निर्धारित प्रपत्र (Appendix 'H') में प्राप्त प्रस्ताव के आधार पर, प्रति वर्ष राष्ट्रीय पर्व (गणतंत्र दिवस/स्वतंत्रता दिवस) के अवसर पर राज्य सरकार द्वारा प्रति वर्ष जारी होने वाले दिशा निर्देशों के तहत प्रदान किये जाते हैं। उक्त प्रमाण पत्र हेतु प्रस्ताव तैयार करते समय निम्नांकित बिन्दूओं को ध्यान में रखा जावे :–

- आपदा प्रबन्धन/नागरिक सुरक्षा कार्यों के लिए विभागीय अधिकारी/कार्मिक की विशिष्ट उपलब्धि
- विभाग/संगठन के लिए समर्पण एवं निष्ठा से किये जाने वाले कार्योपरांत

CamScanner

- योग्यता एवं बेदाग सेवा रिकॉर्ड
- राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलों में महत्वपूर्ण उपलब्धि
- राज्य/राष्ट्रीय जनोपयोगी योजनाओं के कियानवयन में जिला प्रशासन का महत्वपूर्ण सहयोग

(ख) योग्यता प्रमाण पत्र हेतु प्रस्ताव भिजवाये जाने के लिए अपनायी जाने वाली प्रकिया –

- जिला/नागरिक सुरक्षा इकाई स्तर पर नागरिक सुरक्षा एवं नागरिक सुरक्षा अग्निशमन सेवा के अधिकारियों/कार्मिकों/स्वयंसेवकों द्वारा उपरोक्तानुसार किये जाने वाले विशिष्ट/सराहनीय कार्योपरांत, संबंधित कार्यालय नियंत्रक (जिला कलक्टर) नागरिक सुरक्षा/कार्यालयाध्यक्ष (HOO) के स्तर पर, सलंग्न Appendix 'H' के तहत 09 प्रतियों में प्रस्ताव तैयार कर निदेशालय नागरिक सुरक्षा विभाग को ऑफ लाईन भिजवाया जाना है।
- नागरिक सुरक्षा इकाईयों से प्राप्त प्रस्तावों पर निदेशालय स्तर पर गठित विभागीय कमेठी (Appendix 'I') के द्वारा परीक्षण किया जाकर, उनकी अनुशंषा के आधार पर आयुक्त/निदेशक महोदय से अनुमोदन लिया जावेगा। आयुक्त/निदेशक महोदय के अनुमोदन पश्चात, प्राप्त प्रस्ताव ऑफ लाईन प्रशासनिक विभाग के माध्यम से विभागीय मंत्री महोदय की अनुशंषा पश्चात, 08 प्रतियों में राज्य सरकार (मंत्रिमंडल सचिवालय), सामान्य प्रशासनिक विभाग को भिजवाया जाना है।

3. वीरता/सेवा पदक एवं महानिदेशक ना.सु. डिस्क हमेशा शर्ट/कोट के बांये पॉकेट पर पहने जाने हैं। डिस्क हमेशा मेडल व रिबन के नीचे की ओर पहनी जावेगी।
4. उक्त पदकों, डिस्क एवं अन्य प्रशंसा पत्रों का इन्द्राज कार्मिक के सेवा रिकॉर्ड में किया जावेगा। स्वयंसेवकों का भी उनके रिकॉर्ड में इन्द्राज किया जावेगा।

CamScanner

5. वीरता/सेवा पदक राष्ट्रीय समारोहों (स्वतंत्रता दिवस/गणतंत्र दिवस) के अवसर पर प्रदान किये जावेंगे।
6. उक्त पदक एवं सम्मान हमेशा कर्तव्य निष्ठा एवं सराहनीय कार्यों के उपरान्त प्रदान किये जाते हैं। यदि भविष्य में कोई दोषी या अपराधी/राष्ट्र द्रोही की श्रेणी में पाया जाता है तो पदक/सम्मान देने वाले के पास उक्त पदक/सम्मान को जब्त करने का अधिकार होगा।
7. भविष्य में निदेशालय नागरिक सुरक्षा विभाग, राजस्थान को पदक/डिस्क/प्रशंषा पत्रों/अन्य राज्य स्तरीय सम्मान हेतु भिजवाये जाने वाले प्रस्ताव इस प्रपत्र/इस संबंध में प्रति वर्ष जारी होने वाले दिशा निर्देशों के तहत होने पर ही निदेशालय स्तर पर कार्यवाही की जा सकेगी।

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

सलंग्न : उपरोक्तानुसार।

(जयन्त कुमार)
आर.ए.एस.
उप निदेशक

निदेशालय स्तर पर पदक/प्रशंषा पत्र/ईनाम/पुरस्कार हेतु प्राप्त प्रस्तावों के परीक्षण हेतु गठित समिति

उप निदेशक	अध्यक्ष
सीनियर स्टाफ आफिसर/ जूनियर स्टाफ आफिसर	सदस्य सचिव
वरिष्ठ लेखाधिकारी/लेखाधिकारी	सदस्य
प्रशासनिक अधिकारी/ अति. प्रशासनिक अधिकारी	सदस्य

CamScanner